न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर

बईजलास पीठासीन अधिकारीः– श्री सांवरलाल आबासरा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 44/09
GCMS No. 2009/00007

दायर दिनांक 29.05.2009
निर्णय दिनांक 15.09.2025

1. नारसी पिता काउवा मीणा उम्र 46 वर्ष
2. श्री गीता पत्नी श्री नारसी मीणा उम्र 45 वर्ष

निवासीयान शास्त्री कॉलोनी, पानवाडी डूंगरपुर हाल माण्डवा तहसील व जिला डूंगरपुर राजस्थान

––वादीगण

–: बनाम :–

1. शंकर उर्फ शंकरलाल पिता रूपा अहारी मीणा मृतक के कायम मुकाम–
   1/1 श्री लक्सी पिता शंकर उर्फ शंकरलाल अहारी मीणा उम्र 48 वर्ष
   1/2 श्री मोहन पिता शंकर उर्फ शंकरलाल अहारी मीणा उम्र 45 वर्ष
   1/3 श्रीमती कमला पिता शंकर उर्फ शंकरलाल अहारी मीणा उम्र 35 वर्ष
   1/4 श्रीमती पारी पिता शंकर उर्फ शंकरलाल अहारी मीणा उम्र 30 वर्ष
   1/5 श्री हरिश पिता शंकर उर्फ शंकरलाल अहारी मीणा उम्र 28 वर्ष
   1/6 श्री भंवर पिता शंकर उर्फ शंकरलाल अहारी मीणा उम्र 26 वर्ष
   1/7 श्री विजेन्द्र पिता शंकर उर्फ शंकरलाल अहारी मीणा उम्र 24 वष
   1/8 श्री पप्पु पिता शंकर उर्फ शंकरलाल अहारी मीणा उम्र 19वर्ष
   1/9 श्रीमती पूंजी पत्नि शंकर उर्फ शंकरलाल अहारी मीणा उम्र 65 वर्ष
   नि. शास्त्री कॉलोनी, पानवाडी डूंगरपुर हाल माण्डवा तहसील व जिला डूंगरपुर राजस्थान
2. नगरपालिका, डूंगरपुर जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका डूंगरपुर

––प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री लालसिंह चुण्डावत — वकील वादीगण
श्री भंवरलाल पण्ड्या — वकील प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा एवं प्राप्त करने हर्जाना अन्तर्गत धारा 88,183,188 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णय:–

दिनांक 15.09.2025

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि वादीगण पति पत्नी है तथा प्रतिवादी शंकर उर्फ शंकरलाल वादीनी का सगा भाई है। पक्षकार अनुसूचित जन जाति के है। प्रतिवादी एवं वादी नारसी नगरपालिका डूंगरपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। पक्षकारगण का शहर डूंगरपुर में कोई मकान नही था से वादीगण एवं प्रतिवादी ने अपने निवास हेतु कमरे बनाने शहर डूंगरपुर की शास्त्री कॉलोनी में पानवाडी में आराजी नम्बर 1060 की बिलानाम भूमि पर निर्माण प्रारम्भ किया। वादीगण ने आराजी नम्बर 1060 की 35.8 +14.10 वर्ग फीट भूमि पर दो कमरे बनाये। एक कमरा 19.10 उन्नीस फीट दस ईंच लम्बा 12 फीट 6 ईंच चौडा तथा दूसरा कमरा 12 फीट 6 ईंच लम्बा एवं 12 फीट चौडा बनाया इन दोनो कमरों के आगे वादीगण के हक की भूमि पडी हुई है। वादीगण के मकान का पश्चिम-पूर्व दिशा में प्रतिवादी का मकान दो कमरे जो वादीगण के साथ ही बनाये। पश्चिम दिशा में

उपखण्ड अधिकारी

कच्चा रोड, उत्तर दिशा में कच्चा रोड एवं बाद में इमाम खॉ द्वारा अतिक्रमण कर बनाये कमरे। दक्षिण दिशा में कच्चा रोड बताया गया।

प्रतिवादी एवं वादीगण में मनमुटाव हो जाने से प्रतिवादी ने वादीगण को मकान से बेदखल करने भगाने का षडयन्त्र कर दिनांक 20.02.2001 की रात को प्रतिवादी एवं उसकी पत्नी पुत्र पुत्री ने वादीगण के मकान के आंगन में गोबर कण्डों से आग लगाकर वादीगण के मकान में रक्खी घास में आग लगा दी वादीगण को भगा दिये। वादीगण के मकान पर ताला लगाया था। वादीगण ने वाके की इतल्ला पुलिस कोतवाली डूंगरपुर में पेश करने गये किन्तु प्रतिवादी ने आपस में कर लेने का कह कर इतल्ला नही करने दी। प्रतिवादी ने आपस में करने का कहकर समय गुजारा वादीगण दिनांक 17.03.2001 को गॉव खापेडा के पंचों को लेकर मकान पर गये तो देख कि प्रतिवादी ने वादीगण के मकान में ताले पर ताला लगा दिया। पंचों ने प्रतिवादी को समझाया इस पर प्रतिवादी ने पंचों को ताला खोल देने का आश्वासन देता रहा। वादीगण ने प्रशासन शहरों संग अभियान में मकान का विवाद निपटाने ताला खुलवाने प्रार्थना पत्र पेश किया इस पर शिविर प्रभारी ने पटवारी हल्का को ताला खुलवाने का आदेश दिया दिनांक 14.02.2002 को पटवारी ताला खुलवाने आने वाले थे वादीनि मकान पर गई तब प्रतिवादी की पत्नी पूजी पुत्री लता ने वादीनि के साथ मारपीट की पटवारी नही पहूॅचे दिनांक 15.02.2002 को पटवारी ने ताला खुलवाया किन्तु प्रतिवादी एवं इसके परिवार ने पुनः मारपीट कर ताला लगा दिया। वादीनि के जिला कलक्टर महोदय को निवेदन करने पर नगरपालिका के सफाई स्टोर के प्रभारी भरतेंदू पण्ड्या मकान का ताला खुलवाने आये उन्होने एक कमरे का ताला खुलवाया दूसरा ताला दूसरे दिन खुलवाने का कहा पहले दिन पण्ड्या के होते हुये प्रतिवादीनि ने वादीनि से झगडा किया आंतकित की प्रतिवादी के आंतक के कारण मकान कब्जा नही लिया जा सका। मकान में वादीगण का सामान था प्रतिवादी ने मकान का ताला तोउ कर मकान में रक्खा वादीगण का सामान थाली दो कुर्सी प्लास्टिक की टेबल छोटा लकडी का लोहे की सांग दो खाट लकडी के एक लोहे का खाट, आलमारी दो रूई के बिस्तर गोदड दो ड्रम चक्की, घण्ट तीन पंखे एक टेबल फन दो छत के पंखो इत्यादि सामान चुरा लिया जिसकी रिपोर्ट वादीनि ने दिनांक 16.06.2003 को एस.पी.साहब को पेश की जो वास्ते जॉच पुलिस कोतवाली डूंगरपुर को भेजी गई थी किन्तु प्रतिवादी ने पुलिस से मिलकर आपस में करने का कह कर वादीगण को धोखा दिया। प्रतिवादी ने पुलिस में वादीगण को मकान का कब्जा एवं सामान लौटा देने का वायदा किया इसी आश्वासन पर पुलिस ने मामला आगे नही बढाया किन्तु अभी तक प्रतिवादी ने तो मकान का कब्जा सुपुर्द किया है न सामान लौटाया गया।

तहसीलदार डूंगरपुर ने वादी नारसी के नाम धारा 91 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एकट के तहत कार्यवाही कर मकान जब्त कर सरकार करने का आदेश निर्णय दिनांक 17.07.2001 को किया था। जिसकी अपील न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय डूंगरपुर में करने पर वादी एवं अन्य के नाम नियमानुसार नियमन करने की कार्यवाही करने के आदेश दिये वादी के के अलावा प्रतिवादी खान मोहम्मद ईमाम खॉ, गुलाम हुसैन द्वारा भी अतिक्रमण कर मकान बनाने से सभी पॉच व्यक्तियों के मकान बाबत् सामान कार्यवाही चल रही है।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

वादीगण के मकान का कृषि भूमि पर अनाधिकृत निर्माण मानकर राजस्व लेखा अंकेक्षण प्रतिप्रतिवेदन वर्ष 97 से 99 में 37,320/–जमा कराने योग्य बताने पर अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका डूंगरपुर ने वादी संख्या एक का राशी जमा कराने का आदेश पत्र कमांक 2673 दिनांक 02.10.2002 को दिया वादी ने राशि रूप्या 37,320 दि. 30.10.2002 को चालान से जमा करया। वादी ने मकान की भूमि को नियमन कराने की कार्यवाही के अनुसरण में उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर को आवेदन पत्र आवश्यक पत्रों के साथ माह अक्टूबर 2003 में पेश किया था। प्रतिवादी का कब्जा वादीगण के मकान पर बतौर अतिकमी है। प्रतिवादी को वादीगण के मकान पर कब्जा बनाये रखे वादीगण को मकान के अधिपत्य एवं उपभोग के अधिकारो से वंचित करने का कोई अधिकार नही है वादीगण प्रतिवादी को मकान से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण प्रतिवादीगण से मकान पर अतिकमण करने वादीगण को मकान के उपयोग एवं उपभोग से वंचित करने का हर्जाना 500/–पॉच सौ रूपया प्रतिमाह के हिसाब से 5000/–क्लेम बताया।

प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी वादगत मकान में तोड–फोड नही करें, परिवर्तन नही करें, मकान के पास की भूमि पर निर्माण नही करें मकान को किराये पर नही देवे न किसी को हस्तान्तरित करें। कब्जा सुपुदर्गी तक का हर्जाना दिलाने निवेदन किया जाकर माननीय न्यायालय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड डूंगरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसका प्रकरण संख्या 57/2004 निर्णय दिनांक 19.01.2001 दर्ज किया गया। प्रकरण में विवाद सिविल न्यायालय के श्रृंवणाधिकार ने नही होने से वकील वादी को लौटाया जाने से वकील वादी द्वारा उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा 88, 183,188 रा.टि.एक्ट में दिनांक 25.05.2009 को इस न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर का प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाकर जवाब तलब किया गया। वादीगण के वाद से अवगत होकर प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी नंम्बर 1 वादीगण के वाद से अवगत होकर हस्ब जैल जवाब पेश किया गया जिसमें वाद की कलम नम्बर 2 में दर्शायी गई जमीन वों मकान प्रतिवदी नम्बर 1 के स्वामित्व का होकर उसके द्वारा नियमन शुल्क प्रतिवादी नम्बर 2 को जमा करवाया है इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी नही है एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है। वादीगण प्रतिवादीगण से किसी प्रकार का कोई हर्जाना प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रतिवादीगण के अतिरिक्त उत्तर में बताया है कि मकान एवं कमरों का निर्माण अर्सा करीब 20 साल पूर्व से ही कर दिया था जिस पर वर्ष 99 में नियमन शुल्क जमा करवा दिये जाने के पश्चात् महालेखाकार राजस्थान जयपुर के निरीक्षण अवधि 4/97 सं. 3/99 अनु/भाग/बी के अनुसार कम राशि वसुलने के कारण जमा लेने से पुनः नियमन राशि 23341/– दिनांक 09.10.202 को जमा कराने आवेदन किया जिस पर स्वीकृति होने से दिनांक 11.10.2002 को उक्त राशि जमा करवायी गई है। मकान एवं कमरों का निर्माण प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा कराया जाकर उसमें निवास किया जा रहा है और कर रहा है। प्रतिवादी नम्बर 1 बहिन होने से उसे निवास हेतु कुछ समय के लिये दिया जो प्रतिवादी नम्बर 1 वो उसका परिवार इसमें निवास करता हुआ होकर इसका उपयोग उपभोग करता हुआ आ रहा है। वादीगण का इस मकान एवं कमरों पर किसी प्रकार का हक हिस्सा या

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

...धिकार नही हैं यह मकान विरासती न होकर प्रतिवादी नम्बर 1 का किस प्रकार का हक ... नही है। वादीगण का वाद गलत एवं बे बुनियाद आधार पर होने से स्वयं खारीज किया ...। प्रतिवादी संख्या 1 नगरपालिका डूंगरपुर ने जवाब में बताया है कि यह वाद भी नगरपालिका ... खिलाफ वैधानिक नोटिस के अभाव में प्रथम दृष्टया ही खारीज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में जवाब प्रस्तुत होने से तनकी कायम की जाकर साक्ष्य वादीया गीता एवं नारसी ... शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। भूरी विधवा रूपा अहारी एवं ककुआ पिता नानीया का शपथ पत्र ... किया गया। गीता से वकील प्रतिवादी से जिरह पूर्ण कर पी.डब्ल्यु–1 शामिल पत्रावली किया ...। गवाह भूरी व ककुआ से वकील प्रतिवादी से जिरह पूर्ण की गयी। साक्ष्य वादी बन्द की जाकर ...क्ष्य प्रतिवादी नियत की गई। प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने कई मौके दिये गये किन्तु साक्ष्य ...स्तुत नही किये जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। ...तेवादी द्वारा पूर्व प्रोसिडिंग के अनुसार प्रार्थना पत्र साक्ष्य खोजने को अदा करते हुये साक्ष्य शपथ ... धुरीलाल एवं शंकर के पेश किये। पटवारी हल्का से प्रकरण में रिपोर्ट चाही गई। दिनांक ...07.2018 आदेशिका अनुसार प्रतिवादी शंकर के पुत्र विजेन्द्र ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शंकर की ...यु की सूचना दी गयी। कायम मुकान स्वीकार कर संशोधित अनवान प्रस्तुत हुआ। डी डब्ल्यु–3 ... धुरीलाल की जिरह की गयी। प्रतिवादी और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहा गया। अन्तिम ...स सुनी गयी।

प्रकरण में प्रस्तुत श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय डूंगरपुर के अपील सं.19/2001/अपील ...यर दिनांक 20.09.2001 अनवान श्री नरसिंह पिता काउवा मीणा निवासी डूंगरपुर अपीलान्ट बनाम ... राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डूंगरपर रेस्पोडेंट अपील बनाराजगी निणिर्य तहसीलदार ...रपुर प्रकरण संख्या 3866/2001 निर्णय दिनांक 17.07.2001 में पारित निण्रय दिनांक 30.01.2002 ...पीलान्ट ने स्वयं यह बताया है कि नगरपालिका डूंगरपुर द्वारा अपीलान्ट को नोटिस राशि जमा ...ाने का दिया गया, जो अत्यधिक होने से राशि जमा नही करायी गई। चूँकि उक्त भूमि राजस्व ...कॉर्ड के अनुसार किस्म पेटा तालाब दर्ज होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 रा.भू. राजस्व ...धिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए जो निर्णय पारित किया गया है वह उचित है एवं उसमें ...स प्रकार का फेर बदल करना उचित प्रतीत नही होता है, जहॉ तक इसके नियमन का प्रश्न है ... इसके लिए अपीलान्ट को चाहिए कि यदि वह उक्त भूमि पर निर्मित मकान को नियमन कराने ...पात्रता रखता हो तो वह नगरपरिषद डूंगरपुर में आवश्यक कार्यवाही करायें।

प्रकरण में उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सूनी गयी। पत्रावली का अवलोकन कर बहस ... मनन किया गया। वाद वादी अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। वादीगण को चाहिए कि ...शासन शहरों के संग अभियान में उक्त प्रकरण कच्ची बस्ती में नियमन योग्य बनता है तो वह ...सके लिए नगरपरिषद डूंगरपुर से नियमानुसार कार्यवाही करावे। निर्णयानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। ... निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में ... नम्बर से कम की जावे।

(सांवरलाल आबासरा)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6–7 जा.दी.)
उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर मुकाम डूंगरपुर
श्री सांवरलाल आबासरा आर.ए.एस.

दायर दिनांक 29.05.2009
निर्णय दिनांक 15.09.2025

संख्या 44/09
S No. 2009/00007

नारसी पिता काउवा मीणा उम्र 46 वर्ष
श्री गीता पत्नी श्री नारसी मीणा उम्र 45 वर्ष
निवासीयान शास्त्री कॉलोनी, पानवाडी डूंगरपुर हाल माण्डवा तहसील व जिला डूंगरपुर राजस्थान

––वादीगण

–: बनाम :–

शंकर उर्फ शंकरलाल पिता रूपा अहारी मीणा मृतक के कायम मुकाम–
1/1 श्री लक्सी पिता शंकर उर्फ शंकरलाल अहारी मीणा उम्र 48 वर्ष
1/2 श्री मोहन पिता शंकर उर्फ शंकरलाल अहारी मीणा उम्र 45 वर्ष
1/3 श्रीमती कमला पिता शंकर उर्फ शंकरलाल अहारी मीणा उम्र 35 वर्ष
1/4 श्रीमती पारी पिता शंकर उर्फ शंकरलाल अहारी मीणा उम्र 30 वर्ष
1/5 श्री हरिश पिता शंकर उर्फ शंकरलाल अहारी मीणा उम्र 28 वर्ष
1/6 श्री भंवर पिता शंकर उर्फ शंकरलाल अहारी मीणा उम्र 26 वर्ष
1/7 श्री विजेन्द्र पिता शंकर उर्फ शंकरलाल अहारी मीणा उम्र 24 वर्ष
1/8 श्री पप्पु पिता शंकर उर्फ शंकरलाल अहारी मीणा उम्र 19वर्ष
1/9 श्रीमती पूंजी पत्नि शंकर उर्फ शंकरलाल अहारी मीणा उम्र 65 वर्ष
नि. शास्त्री कॉलोनी, पानवाडी डूंगरपुर हाल माण्डवा तहसील व जिला डूंगरपुर राजस्थान
नगरपालिका, डूंगरपुर जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका डूंगरपुर

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा एवं प्राप्त करने हर्जाना अन्तर्गत धारा 88,183,188 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू सांवरलाल आबासरा आर.ए.एस. मिनजानिब री श्री लालसिंह चुण्डावत एडवोकेट मिनजानिब मदुद्ईयान श्री भंवरलाल पण्ड्या जानिब मद्दायला त होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है:–

दावा प्रतिवादीगण अस्वीकार का खारीज किया जाता है।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 15 माह 09 सन् 2025 को जारी की गई।

(सांवरलाल आबासरा)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

मुददई	रूपया/पैसा	मुददायला	रूपया/पैसा
अरजी दावा		स्टाम्प अरजी दावा	
वकालत नामा		स्टाम्प वकालत नामा	
वजह सबुत		स्टाम्प वजह सबुत	
ना वकील		मेहनताना वकील	
गवाहान		खर्चा गवाहान	
ईजराय		वक्त ईजराय	
ीक		मुतफरीक	

उपखण्ड अधिकारी